न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 45/2018 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00294

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. राणीदान पुत्र भीकदान 2. कमला बेवा नारायणदास जातिगण चारण निवासीगण गढ़वाड़ा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)		1. होपदान पुत्र कालुदानजी उर्फ वीरकरणजी जाति चारण निवासी गढ़वाड़ा तहसील रोहट जिला पाली (राज.) 2. ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी उपस्थित
अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 19/02/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा द्वारा प्रस्ताव संख्या 02/05.07.2004 तथा मिसल संख्या 34/2004 में पारित आदेश दिनाँक 05.07.2004 तथा उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1784 दिनाँक 12.07.2004 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी 1 द्वारा जैर निगरानी पट्टा प्रस्ताव के जरिये 200/–रूपये फीस पर ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा की खाली भुमी का प्राप्त किया है। पट्टे व नाप 91 फीट पूर्व से पश्चिम है मौके पर भूमी इतनी नहीं है फिर भी भूमी से अधिक नाप का पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। पट्टे में होपदान का नाम बाद में जोड़ा गया है। पट्टा कालुदान पुत्र दानकरण के नाम से जारी हुआ है। जो विधिविरूद्ध कार्य किया गया है। मिसल में सभी जगह दानकरण के पौत्र होपदान का नाम बाद में जोड़ा गया है। पट्टे में दर्ज दक्षिण की तरफ रास्ता व सार्वजनिक चौक है व उतर की तरफ भी रास्ता है तथा रास्ते के दक्षिण की तरफ भैरूनाथ का मकान है भैरूनाथ व पट्टे की भूमी के बीच रास्ता इस पट्टे के नाप 91 फीट होने पर रास्ते की भूमी शेष नहीं रहती है। इससे स्पष्ट है कि पट्टा रास्ते की भूमी व सार्वजनिक चौक की भूमी पर दिया गया है जो खारिज योग्य है। जैर निगरानी आराजी पर जारी पट्टा 200/– रूपये में दिया गया है जिसपर मकान बना हुआ नहीं है भूखण्ड का पट्टा जारी किया है जो मकानों के विनियमितीकरण की श्रेणी में नहीं है खाली भूखण्ड का पट्टा 200/– रूपये में विधीविरूद्ध तरीके से जारी किया गया है भूमी होने से व पुरा मकान निर्मित नही होने से जरिये निलामी से विक्रय किया जाना चाहिए था। जो नहीं किया गया इसलिए भी जैर निगरानी प्रस्ताव आदेश व पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया न ही आपति पत्र जारी किया न ही पुराने कब्जा होने बाबत दस्तावेज प्राप्त किए गए है बिना साक्ष्य सबूतों के ही प्रस्ताव व आदेश परित कर दिया जो निरस्त योग्य है। आवेदन में भूखण्ड दर्ज है जिस पर पुस्तैनी लिखा है। होपदान के हस्ताक्षर बाद में कराये गये जाहिर होता है। मिसल शुल्क वसूलने का आदेश नहीं दिया गया है। अर्थात [illegible] ही नहीं कराया गया है। पूर्व में दिनांक 31.05.1961 को मिसल संख्या [illegible] में भीकदान के नाम जारी पट्टा में पश्चिम से रास्ता होना [illegible] प्रार्थी संख्या 1 के [illegible] है इस पट्टे

क्रमशः...........2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:49:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

के जारी होने से पश्चिम का रास्ता ही बन्द हो जाता है राणीदान व नारायणदान के रास्ता ही नहीं रहता है। क्योंकि रास्ते के उतर में भैरूदान का परिसर है इस बाबत पक्षकारों के मध्य झगड़े की एफआईआर 281 दिनांक 14.09.2013 को अपराध विवरण फॉर्म कायम किया उनमें रास्ता दर्शाया गया है पटटे् की आड़में उक्त रास्ता की भूमी पर लकड़ी डाल की इस वजह से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अलग से की गई थी। सिविल न्यायालय द्वारा भी रास्ते में अवरोध नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तथा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार भी रास्ता अवरूद्ध नहीं करेंगे। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 34/20.02.2004 दायर कर समस्त कार्यवाही विधिनुरूप की गई हो मिसल में अंकित आदेशिकाओं से स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था मिसल में नजरी नक्शा बनाा हुआ है जिसपर ग्रामसेवक व सरपंच के हस्ताक्षर है पड़ौस अंकित है। तीन वार्ड पंचों द्वारा हस्ताक्षरित आबादी भूमी का निरीक्षण प्रपत्र संलग्न है भूमी 359 वर्गगज होना अंकित है। नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने का लिखा है। आपति इश्तिहार जारी किया हुआ है। जो दिनांक 20.05.2004 का है दो स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए हुए है जो पत्रावली संलग्न है। पुश्तैनी आधार पर 50–60 वर्षों में रहने से मकान का पट्टा 200/– रूपये वसूल कर जारी किया गया जो विधिसम्मत है। उक्त पट्टा जारी करने से रास्ता कही अवरूद्ध नहीं हुआ है। गवाह गंगादान के बयानों में भी पुश्तैनी बंटवाड़े से अप्रार्थी के हिस्से में जैर निगरानी आराजी आने से पट्टा जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कोरम में प्रस्ताव लेकर पट्टा जारी किया गया है जिसे यथावत रखा जावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2017(2)DNJ(RAJ)668 भी प्रस्तुत किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली का एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मिसल व पट्टे में प्रत्येक प्रविष्टि पर होपदान का नाम बाद में जोड़ा जाना स्प्ष्ट है तथा पट्टे की प्रक्रिया में कांटछांट करना साबित करता है। तथा पिता व पुत्र होपदान पुत्र कालूदान, तथा कालूदान पुत्र दानकरण दोनों का नाम अंकित का पट्टा जारी किया जाना विधी सम्मत नहीं है। ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों द्वारा प्रस्तुत आबादी भूमी के निरीक्षण प्रपत्र में मकान है अथवा बाड़ा की भूमी स्पष्ट नहीं किया गया है मात्र 359 वर्गगज नाप लिखा है। न ही प्रस्ताव में इस बात का अंकन किया गया है। पट्टा नियम 150–152 के अनुसरण में जारी करना बताया है लेकिन ग्राम पंचायत में नीलामी नहीं की गई है नियमानुसार यदि नीलामी की जाती तो नीलामी हेतु नियम 154 द्वारा समिति का गठन किया जाकर नीलामी की प्रक्रिया की जाती। ग्राम पंचायत द्वारा बातचीत से 3231 वर्गफीट भूमी की कीमत मात्र 200/– रूपये आंकी गई है जो न्यायोचित नहीं मानी जा सकती है अर्थात पट्टा बाजार कीमत पर विचारण कर नहीं किया गया। 200/– रूपये तो पुश्तैनी मकान के विनियमितीकरण हेतु लेने का प्रावधान है। तथा जैर निगरानी आराजी होपदान का पुश्तैनी मकान नहीं है जबकि उसके पिता जीवित है ऐसी स्थिति में होपदान के नाम विक्रय विलेख जारी किया जाना विधीविरूद्ध है। तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2017(2)DNJ(RAJ)668 के अनुसार भी मकान मौजुद नही होने तथा 300 वर्गगज से अधिक भूमी का विक्रय विलेख सक्षम प्राधिकारी में स्वीकृती नहीं ले[illegible] तथा इस प्रकरण में भी ऐसी स्थिति होने से यह दृष्टांत इस प्रकरण [illegible] है। सड़क सम्बन्धी प्रकरण में सिविल न्यायालय में स्थाई [illegible] जारी की है। राजीनामें से रास्ता अवरूद्ध नही[illegible] पंचायत द्वारा उसी स्थान का पट्टा जारी कर दिया है। जिसे निरस्त किया जान[illegible]यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:49:53 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश......................3

जिला कलेक्टर, पाली

परिणामस्वरूप समस्त तथ्यों के मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत गढ़वाड़ा द्वारा मिसल संख्या 34 / 20.02.2004 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2004 तथा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.047.2004 की पालना में जारी पट्टा संख्या 1784 दिनांक 12.07. 2004 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19-02-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:49:53 IST
Reason: SelfAttested